अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948

चूँकि संयुक्त प्रांत के विधान-मंडल के दोनों सदनों ने इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय तथा अवध स्थित मुख्य न्यायालय/चीफ कोर्ट का समामेलन करने हेतु उस प्रांत के गवर्नर को समावेदन प्रस्तुत किए हैं, और उक्त समावेदन गवर्नर-जनरल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं;

अतः अब, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 229 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गवर्नर-जनरल सहर्ष निम्नलिखित आदेश देते हैं:

1. (क) यह आदेश संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 कहा जा सकेगा।

(ख) यह भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. (क) इस आदेश में:–

“अधिनियम” से भारत के राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार अधिनियम, 1935 अभिप्रेत है;

“नियत दिन” से 26 जुलाई, 1948 का दिन अभिप्रेत है;

तथा

“विद्यमान उच्च न्यायालय” से अधिनियम की धारा 219 में यथा निर्दिष्ट इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय तथा अवध स्थित मुख्य न्यायालय/चीफ कोर्ट अभिप्रेत हैं।

(ख) इस आदेश के निर्वचन के लिए निर्वचन अधिनियम, 1889 उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह संसद के किसी अधिनियम के निर्वचन हेतु लागू होता है।

3. नियत दिन से, इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय तथा अवध स्थित मुख्य न्यायालय समामेलित हो जाएंगे और वे इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय/हाईकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद (जिसे इसके पश्चात् ‘नया उच्च न्यायालय’ कहा गया है) नाम से एक उच्च न्यायालय का गठन करेंगे।

4 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी का स्थायी न्यायाधीश है, वह उस दिन से नए उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के उपरांत तक विस्तारित किसी पदावधि के लिए विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के उपरांत, उस दिन से ठीक पूर्व उस उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश है, वह उस दिन से नए उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश होगा, और यह समझा जाएगा कि वह उक्त अवधि की समाप्ति तक इसी प्रकार नियुक्त किया गया है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी का कार्यवाहक न्यायाधीश है, वह उस दिन से नए उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश होगा, और यह समझा जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

5. (1) वह व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, नए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा।

(2) अन्य व्यक्ति जो इस आदेश के अनुच्छेद 4 के प्रस्तर (1) के आधार पर नए उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनते हैं, वे उस न्यायालय में निम्नलिखित क्रम में ज्येष्ठता धारण करेंगे, अर्थात्:–

सर्वप्रथम, अवध स्थित मुख्य न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के भूतपूर्व अवर न्यायाधीश, ऐसे मुख्य न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्ववर्तिता के अनुसार; तथा

द्वितीयतः, अवध स्थित मुख्य न्यायालय के भूतपूर्व अवर न्यायाधीश, उस न्यायालय में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्ववर्तिता के अनुसार।

(3) जो व्यक्ति इस आदेश के अनुच्छेद 4 के प्रस्तर (2) और (3) के आधार पर नए उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश एवं कार्यवाहक न्यायाधीश बनते हैं, वे उस न्यायालय में विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी में अपर न्यायाधीशों या कार्यवाहक न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्ववर्तिता के अनुसार क्रम धारण करेंगे।

6. प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी का अधिकारी या कर्मचारी है, वह उस दिन से यथास्थिति नए उच्च न्यायालय का अधिकारी या कर्मचारी होगा, और यह समझा जाएगा कि वह नए उच्च न्यायालय में तत्समान पद या पद-स्थान पर सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर (अथवा उन निबंधनों व शर्तों पर जो इस आदेश

द्वारा किए गए परिवर्तनों के अनुरूप अत्यधिक सदृश हों) नियुक्त किया गया है जो नियत दिन से ठीक पूर्व उस पर लागू थीं:

परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी पद के पदनाम अथवा कर्तव्यों को परिवर्तित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।

7. (1) नए उच्च न्यायालय को संपूर्ण संयुक्त प्रांत के संबंध में वे सभी मूल, अपीलीय और अन्य अधिकारिताएं प्राप्त होंगी, जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उस प्रांत के किसी भाग के संबंध में विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के द्वारा प्रयोक्त थीं।

(2) नए उच्च न्यायालय को संयुक्त प्रांत के बाहर के किसी क्षेत्र के संबंध में भी वे सभी मूल, अपीलीय और अन्य अधिकारिताएं प्राप्त होंगी जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उस क्षेत्र के संबंध में इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्त थीं।

8. (1) नए उच्च न्यायालय को अधिवक्ताओं और अटार्नियों को अनुमोदित करने, प्रविष्ट करने, नामांकित करने, हटाने और निलंबित करने तथा संपूर्ण संयुक्त प्रांत में अधिवक्ताओं और अटार्नियों के संबंध में नियम बनाने की वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के द्वारा प्रयोक्त थीं।

(2) नए उच्च न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा जो नियत दिन से ठीक पूर्व इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में पैरवी के अधिकार के संबंध में प्रवृत्त थे:

परंतु इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी में विधि-व्यवसाय करने का हकदार अधिवक्ता या कार्य करने का हकदार अटार्नी है, उसे नए उच्च न्यायालय में, यथास्थिति, विधि-व्यवसाय करने या कार्य करने के हकदार अधिवक्ता या अटार्नी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि विद्यमान उच्च न्यायालयों के समामेलन के होते हुए भी, उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए सभी वचनबंध, जिन्होंने विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के अथवा नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, कि वे विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी की अधिकारिता के भीतर अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे, प्रवृत्त बने रहेंगे, और मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियों को उनके वचनबंधों के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए उस

सीमा तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध करने वाले निर्देश जारी करेंगे जैसा उचित हो और इस प्रयोजन के लिए उक्त वचनबंध को नए उच्च न्यायालय के लिए प्रयोज्य माना जाएगा।

9. इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित नए उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी, और तदनुसार उस उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियम और आदेश बनाने की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो नियत दिन से ठीक पूर्व इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्त थीं:

परंतु इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम या आदेश, जब तक कि नए उच्च न्यायालय के लिए बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा परिवर्तित या निरसित न कर दिए जाएं, नए उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे लागू रहेंगे मानो वे उसी न्यायालय द्वारा बनाए गए हों:

परंतु यह और भी कि मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकानुसार यह आदेश दे सकेंगे कि अवध स्थित मुख्य न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम या आदेश, जब तक कि नए उच्च न्यायालय के लिए बनाए गए नए नियमों या आदेशों द्वारा परिवर्तित या निरसित न कर दिए जाएं, लखनऊ स्थित नए उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक उपांतरणों सहित लागू होंगे।

10. कोई भी नियम या आदेश, जो विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के द्वारा अपने अधीक्षण के अधीन न्यायालयों की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने अथवा उन पर अन्यथा नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए बनाए गए हों, जब तक कि नए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा परिवर्तित या निरसित न कर दिए जाएं, उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में आवश्यक उपांतरणों सहित लागू रहेंगे।

11. (1) नए उच्च न्यायालय की एक ऐसी मुहर होगी जिसका स्वरूप और डिज़ाइन वैसा होगा जैसा मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करें।

(2) इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की मुहर की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित नए उच्च न्यायालय की मुहर की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी।

12. इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त, जारी या अधिनिर्णीत की जाने वाली रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित नए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त, जारी या अधिनिर्णीत की जाने वाली रिटों और अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी।

13. इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एकल न्यायाधीशों और खंडपीठ न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित तथा उन शक्तियों के प्रयोग के सभी आनुषंगिक विषयों के संबंध में नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित नए उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

14. नया उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीश तथा खंडपीठ न्यायालय इलाहाबाद में या संयुक्त प्रांत में ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेंगे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश, संयुक्त प्रांत के गवर्नर के अनुमोदन से, नियत करें:

परंतु जब तक कि संयुक्त प्रांत के गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अन्यथा निर्देश न दें, नए उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनकी संख्या दो से कम न हो, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर नामित करें, अवध के ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नए उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजन से लखनऊ में बैठेंगे जैसा कि मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करें:

परंतु यह और भी कि मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकानुसार यह आदेश दे सकेंगे कि उक्त क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला कोई मामला या मामलों का कोई वर्ग इलाहाबाद में सुना जाएगा।

15. इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों तथा खंडपीठ न्यायालयों से प्रिवी काउंसिल अथवा फेडरल न्यायालय में अपीलों से संबंधित नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित नए उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

16. (1) कार्यवाहियां, जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी में लंबित हैं, इस आदेश के आधार पर नए उच्च न्यायालय को स्थानांतरित हो जाएंगी और इस प्रकार जारी रखी जाएंगी मानो वे उसी उच्च न्यायालय में संस्थित की गई कार्यवाहियां थीं।

(2) पूर्वोक्त किसी कार्यवाही में विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी द्वारा किया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए न केवल उस न्यायालय के आदेश के रूप में प्रभावी होगा, बल्कि नए उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा।

17. नियत दिन से:–

(क) उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करने वाला हर मैजेस्टी का 17 मार्च, 1866 का लेटर्स पेटेंट तथा अवध कोर्ट्स अधिनियम, 1925 (यू.पी. अधिनियम IV वर्ष 1925) का अध्याय II, इस आदेश के उपबंधों का निर्वचन करने या उन्हें प्रभावी बनाने के प्रयोजन के सिवाय, निष्प्रभावी हो जाएंगे;

(ख) भारत सरकार (उच्च न्यायालय न्यायाधीश) आदेश, 1937 को निम्नलिखित रूप में आगे संशोधित किया जाएगा:–

(i) प्रथम अनुसूची में इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय से संबंधित प्रविष्टि में अंक '12' के स्थान पर अंक '21' प्रतिस्थापित किया जाएगा, और अवध के मुख्य न्यायालय से संबंधित प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) द्वितीय अनुसूची में, अवध के मुख्य न्यायालय से संबंधित प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा और टिप्पणी में, "एक मुख्य न्यायाधीश और एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ग) किसी भारतीय विधि में विद्यमान उच्च न्यायालयों में से किसी के प्रति, चाहे जिस नाम से हों, किए गए निर्देश, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नए उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।

18. इस आदेश की कोई भी बात नए उच्च न्यायालय पर अधिनियम के किसी भी सुसंगत उपबंध के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और यह आदेश ऐसे किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो नियत दिन को या उसके पश्चात् नए उच्च न्यायालय के संबंध में ऐसा उपबंध बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल या प्राधिकारी द्वारा बनाए जाएं।